(वाद संख्या–**106/15**)

17.12.2019

नोटिस दिये जाने के बावजूद भी परिवादी, बिहारी मंडल, आज अनुपस्थित हैं।

संचिका के अवलोकन से प्रतीत होता है कि प्रसंगाधीन मामला परिवादी के अपने तीन भाईयों के बीच भूमि के स्वामित्व के लिए विवाद से संबंधित है।

प्रसंगाधीन मामले का जांचोंपरान्त पुलिस द्वारा समर्पित प्रतिवेदन में उल्लेखित किया गया है कि परिवादी, बिहारी मंडल तीन भााई हैं तथा तीनों भाई खेती बारी मेहनत मजदूरी करते हैं। परिवादी के पिता की मृत्यु के बाद बिहारी मंडल घर का गार्जियन बने तथा दोनों भाई, बनवारी मंडल एवं दरवारी मंडल, मजदूरी कमाने के लिए बाहर चले गये। उक्त बाहर कमाने गये दोनों भाईयों द्वारा मजदूरी से कमाये हुए पैसे, अपने भाई बिहारी मंडल को भेजा करते थे तथा बिहारी मंडल द्वारा उक्त दोनों भाईयों से प्राप्त पैसे से, छल–पूर्वक, स्वयं अपने नाम से भूमि का क्रय कर लिया गया।

पूर्व में भी परिवादी की ओर से समान आशय का परिवाद–पत्र आयोग को दी गयी थी, जिसे सुनवाई के क्रम में पुलिस अधीक्षक, कटिहार के प्रतिवेदन (जिसमें परिवादी के बयान के आधार पर उल्लेखित किया गया है कि उक्त मामला डी0सी0एल0आर0, कटिहार के यहां निर्णय के लिए लंबित है) के आलोक में परिवादी को डी0सी0एल0आर0 के न्यायालय के निर्णय का इंतजार करने या व्यवहार न्यायालय में अलग से वाद दाखिल करने को सूझाव के साथ, मामले को मानवाधिकार का अतिक्रमण की श्रेणी में न पाकर, परिवादी की उपस्थिति में दिनांक–15.10.2015 को मामले को बंद कर दिया गया।

परिवादी की ओर से उक्त आशय का ही एक अस्पष्ट परिवाद–पत्र पुनः आयोग में समर्पित किया गया है। परिवाद–पत्र में उल्लेखित तथ्यों के संबंध में परिवादी को आयोग के समक्ष सदेह उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने हेतु दो बार नोटिस निर्गत किया गया

जिसमें उल्लेखित था कि आयोग द्वारा निर्धारित तिथि पर उपस्थित नहीं होने पर मामले को बंद कर दिया जायेगा। नोटिस दिये जाने के बावजूद भी परिवादी आयोग के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। इससे यह प्रतीत होता है कि प्रस्तुत परिवाद के संबंध में परिवादी को अब कोई दिलचस्पी नहीं रह गयी है।

ऐसी स्थिति में प्रसंगाधीन मामले को बंद किया जाता है।

तद्नुसार परिवादी को सूचित कर दिया जाय।

ह0/–

(उज्ज्वल कुमार दुबे)

कार्यकारी अध्यक्ष

सहायक निबंधक